



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.10.2021

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा युवक हत्याकाण्ड का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल(आला कल्ल) मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 06/10/2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 682/2021 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण करते हुए युवक की हत्या करने वाला 01 अभियुक्त रोहित उर्फ रिक्की मनराल पुत्र नरेन्द्र सिंह मनराल निवासी ए-2/2 प्रधान इंकलेव, बुराडी, थाना बुराडी दिल्ली को थाना दादरी क्षेत्र के दादरी मंडी के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 01 .30 बोर की अवैध पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद की गई है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 07/08.07.2021 की रात्रि में मृतक दानिश पुत्र मौहम्मद इकरार निवासी मालागढ, थाना अगौता, जिला बुलन्दशहर की थाना दादरी क्षेत्र के अन्तर्गत कोट नहर पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

अभियुक्त का विवरण:

रोहित उर्फ रिक्की मनराल पुत्र नरेन्द्र सिंह मनराल निवासी ए-2/2 प्रधान इंकलेव, बुराडी, थाना बुराडी दिल्ली।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 682/2021 धारा 302/201 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 929/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 532/2018 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 4.मु0अ0सं0 530/2018 धारा 307 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 5.मु0अ0सं0 423/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 6.मु0अ0सं0 405/2019 धारा 392 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 7.मु0अ0सं0 18/2016 धारा 302/34 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:

हत्या मे प्रयुक्त .30 बोर की अवैध पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस

